FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ालत उप खंड अधिकारी मुकाम पीपलू

याल पुत्र हरिनारायण बाकाजी नि० ... बनाम जगदीश पुत्र लाला अहीर नि० मुंडिया
... तह० पीपलू ... तह० पीपलू

कदमा प्रा०प० अस्थाई निषेधाज्ञा नं. 100 सन् 2004

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5	→ निर्णय :- प्रार्थना पत्र संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी ख०नं० 42, 43, 44 वाके ग्राम मुंडिया तह० पीपलू प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त आराजी से प्रतिपक्षी का कोई संबंध नहीं है। उसके बावजूद भी प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजाहमत करते हैं। अतः उन्हें ता फैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिपक्षी की गई। प्रतिपक्षीगण ने जरिये अभिभाषक जवाब पेश किया कि प्रतिपक्षीगण के पिता लाला पुत्र भैरू अहीर के खातेदारी के खेत संख्या 18, 19, 20, 40 वाके ग्राम मुंडिया में पहुँचने का रास्ता ग्राम मुंडिया की तरफ से होकर ख०नं० 42 प्रार्थी का खेत जो कि नीचा है के सहारे दक्षिण की ओर से मुंडिया की तरफ से आकर ख०नं० 37, 38 व 42 के मध्य मेर से होकर ख०नं० 18, 19, 20 व 40 में पहुँचता है। यह रास्ता ख०नं० 37, 38, 42 के मध्य से होकर पूर्व से पश्चिम (मेर पर से होकर) की ओर पहुँचता है जो प्रतिपक्षीगण के पिता की खातेदारी के खेत हैं। यह रास्ता ख०नं० 40 के पश्चिम कोने पर खत्म हो जाता है। प्रतिपक्षी अपने पूर्वजों के समय से ही इसी रास्ते से होकर अपने खेतों में पहुँचते हैं काश्त करते हैं। प्रार्थी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता… अहकाम जो इ… हुक्म की तामी… में जारी हुए
	अभिभाषक प्रार्थी ने कथन किया कि विवादित भूमि के प्रार्थी खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रतिपक्षीगण का इसमें कोई लेना देना नहीं है। खेत में कोई रास्ता नहीं है। रास्ते बाबत सक्षम न्यायालय में जाना चाहिए। कब्जे बाबत शपथ पत्र पेश किये है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।	

जवाबी बहस में वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि मौके पर कदीमी से रास्ता है। पटवारी ने रिपोर्ट में स्पष्ट किया है। रास्ता 60 वर्ष पुराना है। 20 वर्ष तक प्रयोग में लेने से सुखाचार का अधिकार प्राप्त हो जाता है। खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन किया। खाता सं. 136 ख० नं० 42, 43, 44 वाके ग्राम मुंडिया जमाबंदी सम्वत 2058-61 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं कि खेत से होकर रास्ता नहीं है। शपथ पत्र के जवाब में प्रतिवादी ने कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं। प्रतिवादी के शपथ पत्र के जवाब में प्रार्थी ने शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं। वकील अप्रार्थी द्वारा 251 की कार्यवाही की नकल की छाया प्रति पेश की है। जो कि तहसीलदार के न्यायालय में लंबित है। यदि प्रतिपक्षी को उक्त आराजी में मदाखलत हेतु पाबन्द नहीं किया जाता तो प्रार्थी को परेशानी असुविधा होगी। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द कराने का अधिकार है। प्रतिवादी को इसमें एतराज भी नहीं है। विवाद मात्र रास्ते को लेकर है। अतः उसे छोड़कर प्रार्थी पाबन्द कराने का अधिकारी है क्योंकि उक्त रास्ते का निर्णय अभी तहसीलदार के न्यायालय से नहीं हुआ है। अतः पुराने रास्ते को छोड़कर शेष पर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो ताफैसला वाद प्रार्थी की आराजी में मदाखलत ना करें। दखलन्दाजी नहीं करें।